

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-82/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक

/ / 2025

डा० नम्रता प्रिया, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा चिकित्सा हेतु दिनांक 25.09.2020 से 23.11.2020 तक कुल 60(साठ) दिन उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-82/2023- 874(2) पटना, दिनांक 28/5 / 2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दाउदनगर, औरंगाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ डा० नम्रता प्रिया, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दाउदनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव